पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 22,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कादरचौक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 471/2015 धारा 354,504,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम महावीर पुत्र तिलक सिंह निवासी ग्राम खरगी नंगला थाना कादरचौक जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 श्री फूल सिंह थाना कादरचौक द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 सौरभ शर्मा थाना कादरचौक द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 23-02-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त महावीर उपरोक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 22,000/- रुपये (बाइस हजार रुपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड जमा न करने पर प्रत्येक को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली अभियुक्त से होने के उपरान्त उक्त अर्थदण्ड मे से 90% धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देय होगी।

पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 सौरभ शर्मा थाना कादरचौक तथा लोक अभियोजक श्री प्रदीप भारती तथा विवेचक उ0नि0 श्री फूल सिंह थाना कादरचौक का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं।